न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/64/2025 **GCMS संख्या:** 2025/230

पेश दिनांक: 28.04.2025 **निर्णय दिनांक:** 22.04.2026

जीतसिंह पुत्र करतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी ग्राम शीलगांव खुर्द, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

नायब तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार मुंडावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 323/2025

उपस्थितिः

1. श्री अरुण पंडित – वकील अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी – अभिलेखानुसार

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व अपील न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नं. 01 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने, फसल हटाने तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उपलब्ध अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पूर्व में भी अतिक्रमणकारी मानते हुए उसे पुनरावर्ती/आदतन अतिक्रमी की श्रेणी में माना।

अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिसम्मत नोटिस एवं बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया गया, हल्का पटवारी की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है तथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलार्थी ने अतिक्रमण के तथ्य को भी अस्वीकार किया है।

मैंने अपील पत्र, अपीलित आदेश तथा उपलब्ध मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया, नोटिस जारी किए गए तथा तामील संबंधी कार्यवाही भी अभिलेख पर उपलब्ध है। रिकॉर्ड से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही की जानकारी थी और उसे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, किन्तु वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रभावी रूप से अपना प्रतिवाद सिद्ध नहीं कर सका। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश पूर्णतः बिना सूचना या बिना अवसर के पारित किया गया।

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अभिलेखीय सामग्री, पटवारी रिपोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सरकारी/सार्वजनिक प्रकृति की भूमि है और उस पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया गया पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति तथा संबंधित प्रतिवेदनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। अपीलीय स्तर पर अपीलार्थी ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे उसका वैध कब्जा सिद्ध हो या अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष तथ्यहीन साबित हो।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजस्व प्रशासन का वैधानिक दायित्व है कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखा जाए। यदि अभिलेखों से यह सिद्ध हो कि नोटिस की तामील हुई, कार्यवाही की जानकारी थी और फिर भी अतिक्रमण पाया गया, तो केवल तकनीकी आपत्तियों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की आपत्तियाँ मूलतः प्रक्रिया और रिपोर्ट की शुद्धता तक सीमित हैं, जबकि अतिक्रमण का मूल निष्कर्ष अभिलेखीय सामग्री से समर्थित है।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी अपेक्षित है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टतः अभिलेख–विरुद्ध, विधि–विरुद्ध, अधिकारिता से परे या प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन से युक्त हो। वर्तमान मामले में ऐसा कोई पर्याप्त आधार परिलक्षित नहीं होता। इसके विपरीत, उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 के अंतर्गत की गई कार्यवाही न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है। इसलिए अपील में कोई बल नहीं है।

फलतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत बनाए रखा जाना न्यायोचित है।

आदेश

1. अपीलार्थी जीतसिंह पुत्र करतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी ग्राम शीलगांव खुर्द, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 323/2024, यथावत कायम रखा जाता है।
3. संबंधित तहसीलदार/अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि विवादित सरकारी भूमि से अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस सहायता प्राप्त कर आदेश की प्रभावी पालना कराई जाए।
4. यदि मौके पर खड़ी फसल अथवा अन्य अवरोध मौजूद हों, तो अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अमला नियमानुसार हटाने, कुर्की, नीलामी अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही करे।
5. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)